संख्या: 23 /2024 / 636/सत्रह-अ-2024-17- 1099/55/2021

प्रेषक,

हरीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

30-07-2024

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक अगस्त, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में प्रविधानित धनराशि रु0 2500.00 लाख के सापेक्ष रु0 2194.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2405 मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-160/नि0मी0/ 2024-25 दिनांक 26.04.2024 एवं पत्र संख्या-160/नि0मी0/ 2024-25 दिनांक 10 जुलाई, 2024 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये बी0ए0सी-9 (भाग-1) प्रपत्र का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में प्रविधानित धनराशि रु0 2500.00 लाख के सापेक्ष रु0 2194.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय में वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 12- मत्स्य पालक कल्याण फण्ड, 42- अन्य व्यय में प्रविधानित धनराशि रु0 2500.00 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-17 लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- 3054O मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु0 1000.00 लाख (रु0 दस करोड मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) जिन मामलों में 3054O बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहे तथास्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति वित्त विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(6) आँकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(7) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है ,जिन मामलों में 3000 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य सक्षम आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार या केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 3000 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (सृष्टि,दृष्टि आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रु0 1000.00 लाख (रु0 दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखशीर्षक 2405-मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 13- 3040 मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय के मानक मद 42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई संख्या-बजट-1- 24 , दिनांक **26.07.2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - पत्रक बी0एम0-9 भाग-1

भवदीय

Signed by Harish Kumar Ashok
(हरीश कुमार)
Date: 30-07-2024 10:42:42
अनु सचिव।

संख्या- 2 2 /2024 /636 (1) /सत्रह-म-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 3040 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक मत्स्य मत्स्य निदेशालय 3040 लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 3040 लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/2 (बी0एम0-9 की दो प्रतियों में)/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /2 /नियोजन अनुभाग-3।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।

# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A017-20242025-17-1099-55-2021 Part-1

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत उ0प्र0 मत्स्य पालक कल्याण कोष हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 2194.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

## निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 24050080012000 (मत्स्य पालक कल्याण फण्ड) | 42 (अन्य व्यय) | 25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र | - रुपये पच्चीस करोड़ मात्र | 21,94,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ चौरानवे लाख मात्र | - 100000000 | 150000000 | 2024-2025 |
| कुल | | | | | ₹ 21,94,00,000 | ₹ 0 | | |

## निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 24050080013000 (उ.प्र. मत्स्य पालक कल्याण कोष से व्यय) | 42 (अन्य व्यय) | 10,00,000 रुपये दस लाख मात्र | 21,94,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ चौरानवे लाख मात्र | - | - 101000000 | 2024-2025 |
| कुल | | | | ₹ 21,94,00,000 | ₹ 0000000000 | 101000000 | |

## कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. बचत की जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या: -2024-25, दिनांक- मई,2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 25-07-2024 17:32:07

(हरीश कुमार)
अनु सचिव

संख्या: • / दिनांक- मई, 2024

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0।
5- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, नियोजन अनु0-3
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव।